

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्यालय गंगपुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी- सुदर्शन सिंह तोमर

क०सं०	अपील सं०	GCMS NO.	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	05/26	2026/12	16/02/2026	मोहन बनाम सरकार	25.02.2026	1 लगायत 3

1. मोहन पुत्र रामजीलाल उम्र 73 साल जाति जाट निवासी कुंसाय तहसील वजीरपुर।
—अपीलार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील वजीरपुर। —रेस्पोजेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:-

1. अपीलार्थी पक्ष की ओर से :- विद्वान अधिवक्ता श्री गोपाल लाल शर्मा
2. रेस्पोजेन्ट पक्ष की ओर से :- परोकार सरकार

निर्णय

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार वजीरपुर द्वारा मिसल संख्या 221/2025 में पारित निर्णय दिनांक 07.01.2026 के विरुद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम कुंसाय के आराजी ख०नं० 998 रकबा 0.30 है० किस्म गै०मु०चरागाह पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने एवं सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि पटवार हल्का रायपुर ने इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि मोहन पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी कुंसाय ने खसरा नम्बर 998 रकबा 0.30 है० किस्म गै०मु०चरागाह वाके ग्राम कुंसाय पर सम्बत् 2082 में फसल रवि में अनाधिकृत रूप से पुनः फसल गेहूं काशत कर अतिक्रमण कर लिया है अतिक्रमी को धारा 91 एल०आर०एक्ट का नोटिस व्यक्तिगत सुनवाई व सबूत पेश करने तथा समुचित अवसर दिया जावे।
निर्णय


अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगपुर सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
मु0सं0 05/2026 मोहन बनाम सरकार ।

में अतिक्रमी की उपस्थिति दर्ज बताई गई है तथा उसके द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये, तथ्य अंकित है। पटवारी हल्का के बयान लेकर अतिक्रमी को पश्चात्वर्ती अतिचारी मानकर उसके खिलाफ अधिनस्थ न्यायालय ने 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा व शास्ति से दण्डित फरमाये जाने का निर्णय दिनांक 07.01.2026 को पारित कर दिया। उक्त निर्णय अदालत मातहत खिलाफ कानून व रूएदाद मिसल है जो खारिज होने योग्य है। अपीलान्त तहसीलदार वजीरपुर से प्रार्थना की थी कि मुझे साक्ष्य व सबूत पेश करने का मौका देकर तारिख दिया जावे। अपीलान्त अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना करता रह गया कि हल्का पटवारी ने मेरे खिलाफ भूमि को बिना नाप तोल किए ही रिपोर्ट पेश की है, जो गलत है। लेकिन प्रार्थी अपीलार्थी की प्रार्थना पर अधिनस्थ न्यायालय में कोई गौर नहीं किया और प्रार्थी अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित कर 60 दिवस में सिविल कारावास की सजा से दण्डित फरमा दिया, जो प्राकृतित न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। इसी बिना पर अधिनस्थ न्यायालय का फैसला निरस्त होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह वर्णित किया है कि हल्का पटवारी ने अपने बयानों में बताया है कि अतिक्रमी ने सम्वत् 2082 में पुनः अतिक्रमण किया है तथा अतिक्रमी बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। इस तथ्य की ताईदगी में हल्का पटवारी ने कोई पुराना रिकोर्ड पत्रावली पर पेश नहीं किया है, जिससे उक्त तथ्य साबित होता है। हल्का पटवारी ने अपने बयान में स्पष्ट नहीं कहा है कि खसरा नम्बर 998 रकबा 0.30 है 0 गौमु0 चरागाह वाके ग्राम कुँसाय में अपीलान्त ने कौनसी जिन्स बोककर अतिचार किया है। जब बयान में ही हल्का पटवारी द्वारा उसके स्वयं के द्वारा की गयी रिपोर्ट की ताईदगी नहीं की गयी है तो निर्णय अपूर्ण हो जाता है। अपीलान्त का वर्तमान में खसरा नम्बर 998 रकबा 0.30 है 0 चरागाह वाके ग्राम कुँसाय पर वर्तमान में कोई कब्जा नहीं है, साथ ही विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने उक्त अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेशोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी का पश्चात्वर्ती अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है, साथ ही पेशोकार सरकार ने अपील अपीलार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु नोटिस जारी किया गया। जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के पूर्ववर्ती अतिचारी होने के प्रश्न है तो पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट एवं बयान में पश्चात्वर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया हुआ है, साथ ही अपील अपीलार्थी ने अपनी अपील तथा दौराने बहस कथन किया है कि उक्त वाद आराजीयात पर अपीलार्थी का किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है।


अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापूर सिटी
मु0सं0 05/2026 मोहन बनाम सरकार ।

अतएव: परिणामस्वरूप अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार वजीरपुर को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित करना उचित समझते हैं कि तहसीलदार वजीरपुर आदिनांक से दिनांक 31.08.2026 तक प्रत्येक तीन माह में एवं संबंधित भू-अभिलेख निरीक्षक प्रत्येक माह में स्वयं कब्जा जांच करेगा। यदि अपीलान्त कब्जा छोड़ दे तो निर्णय दिनांक 07.01.2026 खारिज कर सजा माफ कर दी जावेगी तथा यदि अपीलान्त का कब्जा काश्त पाया जाता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.01.2026 यथावत रखा जावेगा। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति. जिला कलेक्टर,
गंगापूर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापूर सिटी